प्रारंभिक परीक्षा

भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद करने वाली महिलाएं

संदर्भ

संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सभा में महिला सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिका को याद किया।

संविधान सभा में महिलाओं के बारे में -

- **299 सदस्यीय विधानसभा में 15 महिला सदस्य थीं**, जिनमें सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल थीं।
- लेकिन इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि से कम प्रसिद्ध महिलाएं भी थीं जिन्होंने लिंग, जाति और आरक्षण पर बहस में भाग लिया।
- **विभिन्न समितियों में महिलाओं की भागीदारी:**
    - **हंसा मेहता और अमृत कौर** ने मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक उप-समितियों में कार्य किया।
    - **जी. दुर्गाबाई** संचालन एवं नियम समिति में थीं।

नाम		उल्लेखनीय योगदान
अम्मू स्वामीनाथन (केरल)		• **1917** में एनी बेसेंट जैसे नेताओं के साथ मिलकर **विमेंस इंडिया एसोसिएशन** की स्थापना की। • **हिंदू कोड बिल** के माध्यम से लैंगिक समानता की वकालत की। • विधवाओं के प्रति दमनकारी रीति-रिवाजों को हटाने के लिए लड़ाई लड़ी।
एनी मस्करेने (केरला)		• सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए अभियान चलाया, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समूहों के लिए। • जातिगत भेदभाव के बावजूद सार्वभौमिक मताधिकार और राजनीतिक भागीदारी की वकालत की।
बेगम कुदसिया ऐज़ाज़ रसूल (पंजाब)		• **धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचिका का विरोध किया तथा समुदायों के बीच एकता बनाए रखी।** • विभाजित भारत में मुसलमानों के राजनीतिक भविष्य के बारे में बहस में सक्रिय रूप से भाग लिया। • भारत में महिला हॉकी को बढ़ावा देने में मदद की
दाक्षायनी वेलायुधन (केरल)		• **संविधान सभा और कोचीन विधान परिषद में प्रथम दलित महिला।** • विज्ञान में स्नातक करने वाली पहली दलित महिला भी रही • दलित अधिकारों की वकालत की और जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया।

रेणुका रे (पश्चिम बंगाल)		• महिलाओं के मुद्दों, विशेषकर तलाक और उत्तराधिकार अधिकारों का प्रतिनिधित्व किया। • सार्वजनिक नीति और सामाजिक न्याय में महिलाओं की समानता की वकालत की।

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता प्रसिद्ध हैं: (2011)

(a) भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाना
(b) दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना
(c) भारतीय राष्ट्रीय सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व करना
(d) पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार के गठन में सहायता करना

उत्तर: (**a**)

स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद करने वाली महिलाओं की कहानियों को याद करना]

बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान

संदर्भ

चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) ने घोषणा की है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना गहरा अवदाब (deep depression) क्षेत्र शीघ्र ही चक्रवाती तूफान में बदल सकता है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के बारे में -

- **यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान तथा संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।**
- **स्थापना एवं मुख्यालय**: 1875, नई दिल्ली
- **नोडल मंत्रालय**: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- **6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं:** मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर और गुवाहाटी।
- **आईएमडी के कार्य**:
    - मौसम संबंधी अवलोकन करना तथा कृषि, शिपिंग, विमानन, अपतटीय तेल अन्वेषण आदि जैसी मौसम-संवेदनशील गतिविधियों के लिए वर्तमान और पूर्वानुमानित मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करना।
    - उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नॉरवेस्टर, धूल के तूफान, भारी वर्षा और बर्फबारी, शीत और ग्रीष्म लहरों जैसी गंभीर मौसम संबंधी घटनाओं के खिलाफ चेतावनी देना।
    - कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योग, तेल अन्वेषण और अन्य राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक मौसम संबंधी आँकड़े उपलब्ध कराना।

About Colour Coded warnings issued by IMD

Green - No advisory:	A green alert indicates that, while a weather event is possible, no advisory is required. • Green code denotes less than 64 mm of rain in 24 hours
Yellow - Be aware:	A yellow alert denotes bad weather conditions and the possibility that the conditions will worsen, causing disruptions to daily life. • A yellow alert is issued if the expected rainfall ranges **between 64.5 mm and 115.5 mm.**
Orange - Prepare:	When extremely bad weather is forecast, an orange alert is issued to warn of potential disruptions to transport, rail, road, and air. Power outages are also likely. • An orange alert is issued when rainfall totals **between 115.6 and 204.4 mm in a single day**
Red- Take action:	A red alert is issued when an extremely bad weather condition is expected to disrupt transportation and power supply. It might also pose a risk to life. • a red alert is issued when rainfall totals exceed 204.5 mm in a 24-hour period.

तथ्य

- **आँधी-तूफान** के दौरान पवन की गति के आधार पर अलर्ट जारी किया जाता है, जबकि **कोहरे के दौरान** दृश्यता सीमा निर्णायक कारक बन जाती है।
- **धूल भरी आँधी** के मामले में, अलर्ट जारी करते समय पवन की गति और दृश्यता दोनों को ध्यान में रखा जाता है।

स्रोत:

- द हिंदू - बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना

उपासना स्थल अधिनियम(Places Of Worship Act)

संदर्भ

उत्तर प्रदेश के संभल में 16वीं शताब्दी की जामा मस्जिद हाल ही में एक विवाद का केंद्र बन गई है, जिसमें दावा किया गया है कि इसका निर्माण प्राचीन हरि हर मंदिर के स्थान पर किया गया था।

जामा मस्जिद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- मुगल सम्राट **बाबर के शासनकाल (1526-1530)** के दौरान उनके सेनापति **मीर हिंदू बेग** द्वारा निर्मित।
- यह बाबर के शासनकाल के दौरान निर्मित 3 मस्जिदों में से एक है: अन्य 2 (पानीपत और बाबरी मस्जिद)।
- **हिंदू मान्यताएँ:** स्थानीय परंपरा के अनुसार मस्जिद में विष्णु मंदिर के अवशेष हैं, माना जाता है कि यह विष्णु के दसवें अवतार कल्कि के आगमन का स्थल है।

उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के बारे में -

- इसे भारत सरकार द्वारा उपासना स्थलों के धार्मिक चरित्र को संरक्षित करके सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया था।

मुख्य प्रावधान -

- **धार्मिक स्थलों की स्थिति(धारा-4):** 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र अपरिवर्तित रहेगा।
    - कोई भी कानूनी कार्यवाही ऐसे स्थानों के धार्मिक चरित्र को चुनौती नहीं दे सकती जैसा कि वह उस तिथि को था।
    - **अपवाद**: यह अधिनियम राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होता है, जो इसके अधिनियमन के समय चल रहा था।
- **धर्मांतरण का निषेध(धारा-3):** किसी पूजा स्थल या उसके किसी भाग का एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे धार्मिक संप्रदाय में या एक धार्मिक समूह से दूसरे धार्मिक समूह में रूपांतरण निषिद्ध है।
- **उल्लंघन के लिए दंड(धारा-6):** किसी धार्मिक स्थल की स्थिति को बदलने का प्रयास करने वाले उल्लंघनकर्ताओं को 3 साल तक की कैद और/या जुर्माना हो सकता है।
- **आवेदन का दायरा**: यह अधिनियम भारत में सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है, सिवाय उन धार्मिक स्थलों के जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई है या जो 1991 से चल रहे विवादों से संबंधित हैं।

अधिनियम की चुनौतियाँ

- अधिनियम को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह न्यायिक उपचार के अधिकार को प्रतिबंधित करता है और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार) का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट को अभी भी अधिनियम की संवैधानिकता पर निर्णय लेना बाकी है।
- **न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की 2022 की टिप्पणी**: किसी स्थल के धार्मिक चरित्र का निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो सकता है।
- संभल मामला अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के विवादों में शामिल हो गया है, जैसे:
    - ज्ञानवापी मस्जिद (वाराणसी)
    - ईदगाह मस्जिद (मथुरा)
    - कमाल-मौला मस्जिद (धार)

स्रोत:

- द हिन्दू - संभल मस्जिद को लेकर विवाद क्या है?

नायलॉन धागे के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश

संदर्भ

नायलॉन बुनकरों ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि घरेलू और आयातित नायलॉन धागे(nylon yarn) की व्यावहारिकता का विस्तार से अध्ययन करने के बाद ही नायलॉन फिलामेंट धागे पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया जाए।

नायलॉन के बारे में -

- **नायलॉन एक सिंथेटिक बहुलक(synthetic polymer) है, जिसे पॉलियामाइड के रूप में जाना जाता है (जिसे 1930 के दशक में वालेस कैरोथर्स द्वारा विकसित किया गया था)।**
- इसका निर्माण डायमाइन्स और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या उनके डेरिवेटिव के संघनन बहुलकीकरण (**condensation polymerization**)से होता है।
- **नायलॉन के लाभ:**
    - टिकाऊ एवं लम्बे समय तक चलने वाला।
    - उच्च तन्यता शक्ति।
    - हल्का और बहुमुखी।
    - फफूंदी और कीटों के प्रति प्रतिरोधी।
- **नायलॉन के नुकसान:**
    - उत्पादन की अपेक्षाकृत उच्च लागत।
    - गैर-बायोडिग्रेडेबल।
    - नमी को अवशोषित करता है, जो कुछ अनुप्रयोगों में प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।

स्रोत:

- द हिन्दू - सूरत के बुनकरों ने नायलॉन धागे के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पर सावधानी बरतने का प्रस्ताव रखा

विद्रोही समूह ने म्यांमार में रणनीतिक व्यापारिक शहर पर कब्ज़ा किया

संदर्भ

पूर्वोत्तर म्यांमार के एक प्रमुख व्यापारिक शहर कनपैती पर काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी (KIA) ने कब्जा कर लिया है।

प्रमुख घटनाक्रम

- **कनपैती का पतन:**
  - कनपैती चीन-म्यांमार सीमा पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर है।
  - कनपैती दुर्लभ खनिज खनन के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो विद्युत मोटर, पवन टर्बाइन, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च तकनीक वाले हथियारों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।
  - **इस क्षेत्र की खदानों ने पिछले वर्ष चीन को 1.4 बिलियन डॉलर मूल्य के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की आपूर्ति की थी।**
- **शेष सीमा नियंत्रण:**
  - इस क्षति के बाद, सेना के पास केवल एक शहर पर नियंत्रण बचा है, जिसकी सीमा चीन से लगती है: **म्यूज़।**
- **प्रमुख सशस्त्र समूह:**
  - **KIA:** यह एक गैर-राज्य सशस्त्र समूह है और उत्तरी म्यांमार में जातीय काचिनों के एक राजनीतिक समूह, काचिन स्वतंत्रता संगठन (KIO) की सैन्य शाखा है।
  - **रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गनाइजेशन (RSO):** यह रोहिंग्या और बर्मी सरकार के बीच संघर्ष में शामिल एक उग्रवादी समूह है। इसका गठन 1982 में रोहिंग्या के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था।
  - **अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA):** यह उत्तरी म्यांमार के रखाइन राज्य में कार्यरत है, जहां अधिकांश मुस्लिम रोहिंग्या लोगों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।

स्रोत:

- द हिंदू - विद्रोही समूह ने म्यांमार के सीमावर्ती शहर, खनन केंद्र पर कब्ज़ा कर लिया, जो सैन्य शासन के लिए झटका है

सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन टेक्नोलॉजी (SHKT)

संदर्भ

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचारों को बढ़ावा देने और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों की खोज करने के लिए हाइड्रो श्रेणी के अंतर्गत सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन (SHKT) प्रौद्योगिकी को मान्यता दी है।

सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन टेक्नोलॉजी (SHKT) के बारे में -

- **SHKT की मुख्य विशेषताएं**
    - **यह बिजली पैदा करने के लिए बहते पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है।**
    - यह पारंपरिक जलविद्युत की तरह ऊंचाई में बदलाव के बिना **पानी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करता है (इसमें बांधों, बैराजों या जलाशयों की आवश्यकता नहीं होती है)।**
    - यह मुक्त प्रवाह वाली नदियों, समुद्री धाराओं या ज्वारीय प्रवाह में कार्य करता है।
    - जल धाराओं से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसे जल की सतह के पास स्थापित किया जाता है।
- **लाभ:**
    - **पर्यावरण अनुकूल:** बांध निर्माण से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव से बचाव और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में न्यूनतम व्यवधान।
    - **लागत प्रभावी:** बड़ी जलविद्युत परियोजना की तुलना में कम पूंजी निवेश
    - **सुगम्यता:** इसे उन दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है जहां अन्य ऊर्जा स्रोत उपलब्ध नहीं हैं।
- **चुनौतियाँ:**
    - **दक्षता:** जल प्रवाह की गति और मात्रा पर निर्भर; स्थिर या धीमी गति से बहने वाले जल निकायों के लिए उपयुक्त नहीं।
    - **स्थायित्व:** मलबे, तलछट और जलीय वनस्पति से टूट-फूट के अधीन।
    - **लागत:** प्रारंभिक स्थापना और प्रौद्योगिकी परिनियोजन महंगा है।

स्रोत:

- [पीआईबी - सीईए ने हाइड्रो श्रेणी के तहत स्वदेशी रूप से विकसित सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन प्रौद्योगिकी को मान्यता दी]

रियाद डिजाइन कानून संधि

संदर्भ

भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

रियाद डिजाइन कानून संधि (DLT) के बारे में -

- यह लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (**WIPO**) के सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया एक ऐतिहासिक समझौता है।
- **इस संधि का उद्देश्य वैश्विक डिजाइन संरक्षण ढांचे को सुव्यवस्थित और सुसंगत बनाना है, तथा समावेशिता और नवाचार के लिए समर्थन पर जोर देना है।**
- **प्रमुख विशेषताऐं:**
    - आवेदन हेतु समय सीमा में छूट दी गई।
    - खोए हुए अधिकारों की बहाली और प्राथमिकता दावों में सुधार/जोड़ना।
    - असाइनमेंट और लाइसेंस रिकॉर्ड करने की सरलीकृत प्रक्रिया।
    - एक ही आवेदन में एकाधिक डिज़ाइन दाखिल करने का विकल्प।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के बारे में -

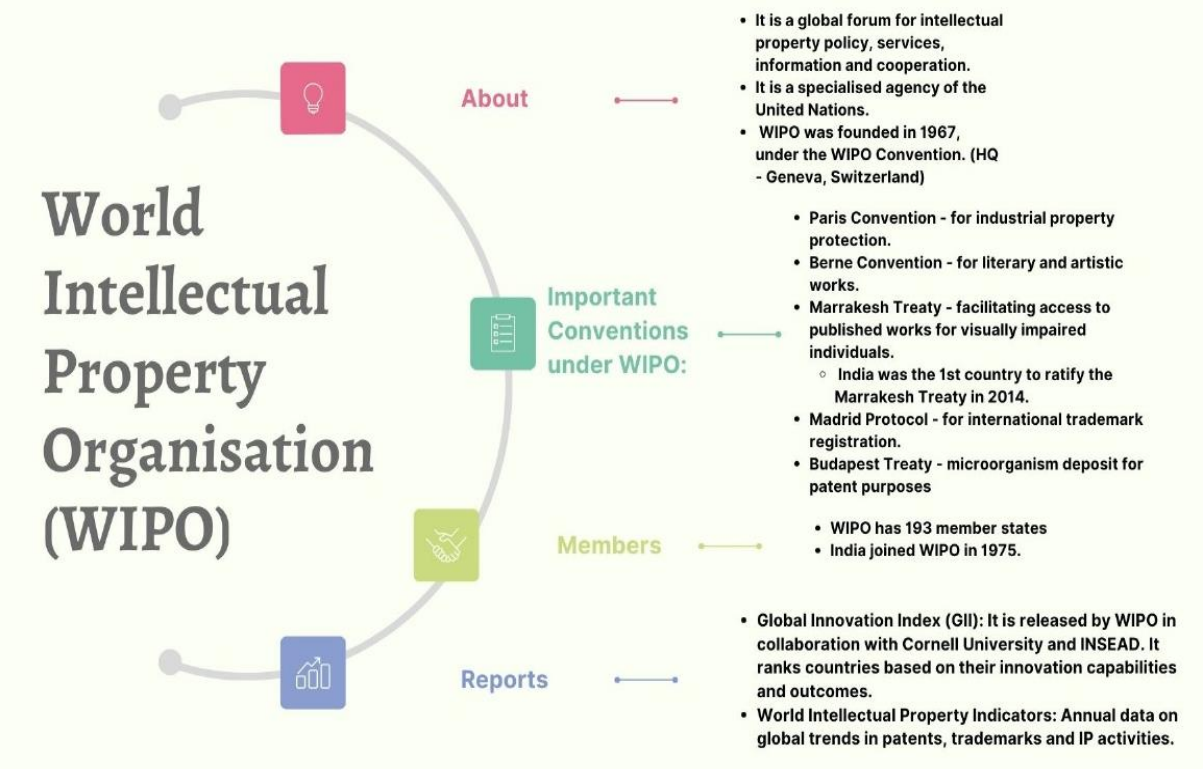

स्रोत:

- [पीआईबी - भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए]

समाचार संक्षेप में

पेन्नैयार नदी विवाद

- **पेन्नैयार नदी को थेनपन्नई के नाम से भी जाना जाता है।**
- **उद्गम**: नंदीदुर्ग पर्वत (चेन्नकसेवा पहाड़ियाँ), कर्नाटक का पूर्वी ढलान।
- **यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है।**
- नदी का 77% जल निकासी बेसिन तमिलनाडु में स्थित है।
- **सहायक नदियाँ:** मार्कंडानाधी, कम्बैनल्लूर, पम्बर, वणियार, कल्लार, वलयार आदि।
- संगम साहित्य में पेन्नैयार नदी का उल्लेख उसकी हरी-भरी वनस्पतियों के लिए किया गया है।
- **नदी पर महत्वपूर्ण मंदिर:** पेन्नेश्वर मंदिर, दक्षिणा तिरूपति, वीराटेश्वर मंदिर।
- मार्कंडेय नदी (पेन्नैयार नदी की प्रमुख सहायक नदी) पर कर्नाटक के बांध बनाने के इरादे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पेन्नैयार नदी पर विवाद है।

स्रोत:

- द हिंदू - सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार जल बंटवारे पर रिपोर्ट मांगी

सिद्दी समुदाय

- **सिद्दी कर्नाटक में एक जातीय अल्पसंख्यक समूह है, जो दक्षिणपूर्व अफ्रीका के बंटू लोगों के वंशज हैं।**
- वे 16वीं और 17वीं शताब्दी में पूर्वी और दक्षिणपूर्व अफ्रीका से गुलाम के रूप में भारत आये।
- सिद्दी मुख्य रूप से कोंकणी बोलते हैं, लेकिन कन्नड़ और कुछ मराठी भी बोल सकते हैं।
- **2003 में, कर्नाटक सरकार ने सिद्दियों को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी, जो उन्हें कुछ लाभों तक पहुंच प्रदान करती है।**

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस - सिद्दी समुदाय की सामूहिक कल्पना और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाना चाहता था

नॉर्वे तथा स्वीडन के अल्पसंख्यक समूह

- **नॉर्वेजियन संसद ने सामी, ओवेन और फ़ॉरेस्ट फ़िन लोगों से औपचारिक माफ़ी मांगी है और देश में अभी भी उनके साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए कई प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार की है।**
- **सामी**: ये एक स्वदेशी समूह हैं जो सदियों से उत्तरी नॉर्वे में रह रहे हैं।
  - सामी संस्कृति में "कोफ्ते" नामक पारंपरिक परिधान, गीत और प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता शामिल है। उनके पास "जोइक" नामक एक समृद्ध गीत परंपरा भी है।
- **केन्स**: टोर्न नदी घाटी (वर्तमान स्वीडन और फ़िनलैंड) के प्रवासियों के वंशज जो नॉर्वे में बस गए। वे ऐतिहासिक रूप से काटने और जलाने की खेती, मछली पकड़ने और लोहें का काम करते थे।
- **फ़ॉरेस्ट फ़िन्स**: पूर्वी फ़िनलैंड के आप्रवासियों के वंशज जो स्वीडन में बस गए और फिर 1600 के दशक में नॉर्वे चले गए। उनकी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और भाषा है।

स्रोत:

- द हिंदू - नॉर्वे की सामी और अन्य अल्पसंख्यक समूहों से आत्मसात नीतियों के लिए माफ़ी

संपादकीय सारांश

उच्च सागर संधि(High Seas Treaty)

संदर्भ

भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे उच्च सागर संधि के नाम से भी जाना जाता है।

उच्च सागर क्या हैं?

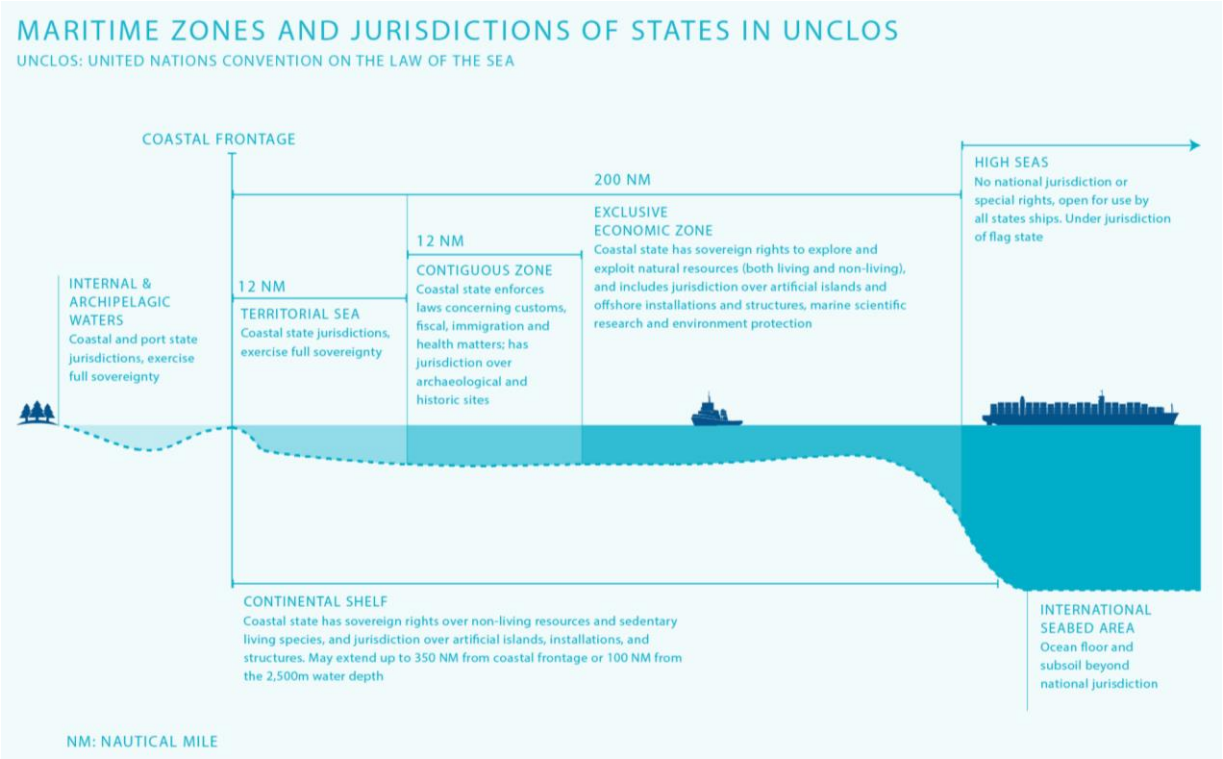

- **उच्च सागर महासागर के वे क्षेत्र हैं जो देशों के राष्ट्रीय जल से परे (200 समुद्री मील से परे) स्थित हैं।**
- ये पृथ्वी पर सबसे बड़े आवास हैं और लाखों प्रजातियों का घर हैं।
- विश्व के 60% से अधिक महासागरों तथा पृथ्वी की सतह के लगभग आधे भाग पर उच्च सागर का कब्जा है।

BBNJ समझौते के उद्देश्य और रूपरेखा -

- मार्च 2023 में अपनाया गया।
- यह समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (**UNCLOS**) के तहत तीसरे कार्यान्वयन समझौते के रूप में कार्य करता है।
    - यह राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर स्थित विश्व के महासागरों की रक्षा के लिए पहली संधि है।
- **इसके प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल हैं:**
    - **समुद्री जैव विविधता का संरक्षण:** विविध समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए उपाय स्थापित करना।

- **लाभों का न्यायसंगत बंटवारा**: यह सुनिश्चित करना कि समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त लाभ राष्ट्रों के बीच समान रूप से साझा किया जाए।
- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA)**: समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए आकलन को अनिवार्य बनाना।

- यह संधि राष्ट्रों को उच्च समुद्री संसाधनों पर संप्रभुता का दावा करने से रोकती है तथा इन क्षेत्रों के प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS)

- **यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विश्व के महासागरों और समुद्रों के उपयोग और प्रबंधन को नियंत्रित करती है।**
- यह संधि **1982 में अपनाई गई** तथा **1994 में लागू** हुई तथा **168 देशों (भारत सहित) द्वारा इसका अनुसमर्थन किया गया।**
- **UNCLOS की मुख्य विशेषताएं:**
  - UNCLOS **महासागरों और समुद्रों** में मछली पकड़ने, नौवहन, तथा **प्राकृतिक संसाधनों की** खोज और दोहन सहित गतिविधियों के लिए **कानूनी ढांचा स्थापित करता है।**
  - यह संधि **तटीय राज्यों के** अपने **प्रादेशिक जल** और **अनन्य आर्थिक क्षेत्रों पर अधिकारों को मान्यता देती है तथा** पड़ोसी राज्यों के बीच **समुद्री सीमाओं के सीमांकन** के लिए नियम निर्धारित करती है ।
  - संधि में UNCLOS की व्याख्या और अनुप्रयोग से संबंधित विवादों की सुनवाई के लिए **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण (ITLOS) की भी स्थापना की गई है।**

संधि की आवश्यकता

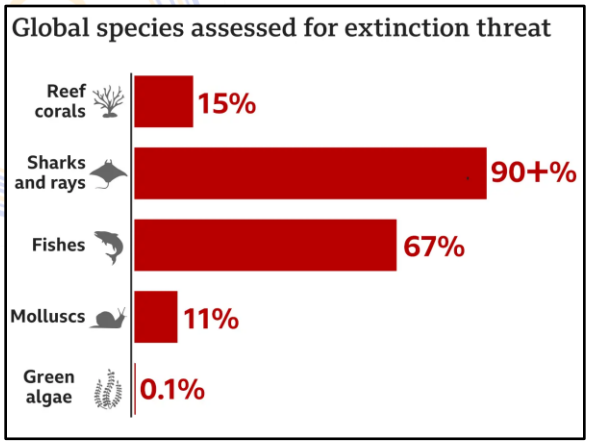

- विश्व के महासागर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो मानव और पशु जीवन को जीवित रखती है, मौसम प्रणालियों को संचालित करती है तथा मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ग्रह को गर्म करने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग एक-चौथाई भाग संग्रहित करती है।
- आईयूसीएन द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के अनुसार, अब तक मूल्यांकित पानी के नीचे के लगभग 10 प्रतिशत पौधे और जानवर विलुप्त होने के खतरे में हैं।
  - विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के अनुसार, शार्क और रे जैसी एक तिहाई प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं।
- नासा के अनुसार, 90% वैश्विक तापमान वृद्धि महासागरों में हो रही है।
  - महासागर के गर्म होने के प्रभावों में तापीय विस्तार के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि, प्रवाल विरंजन, पृथ्वी की प्रमुख बर्फ की चादरों का तेजी से पिघलना, तीव्र तूफान, तथा महासागर के स्वास्थ्य और जैव रसायन में परिवर्तन शामिल हैं।
- वर्तमान में, पृथ्वी के महासागरों के विशाल हिस्से के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए कोई संधि नहीं है।
  - अंतर्राष्ट्रीय जल का केवल 1.2% ही संरक्षित है, तथा केवल 0.8% को ही "अत्यधिक संरक्षित" के रूप में पहचाना गया है।

उच्च सागर संधि की चुनौतियाँ

- **कार्यान्वयन रोडमैप का अभाव:** 104 हस्ताक्षरकर्ताओं में से **केवल 14 ने** संधि का अनुसमर्थन किया है, जो कि प्रवर्तन के लिए आवश्यक 60 से काफी कम है।
    - भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, विशेषकर दक्षिण चीन सागर और बंगाल की खाड़ी में, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (एमपीए) की स्थापना पर आम सहमति बनाने में बाधा डालती है।
- **विवादास्पद प्रावधान:** संधि में वैश्विक कोष के माध्यम से समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से लाभ साझा करने का प्रावधान है।
    - आलोचक मजबूत जवाबदेही तंत्र के अभाव का हवाला देते हुए धनी देशों द्वारा संभावित शोषण पर प्रकाश डालते हैं।
- **अन्य शासन व्यवस्थाओं के साथ टकराव:** जैव विविधता पर कन्वेंशन जैसे मौजूदा ढांचों के साथ संभावित ओवरलैप के कारण प्रवर्तन में विखंडन और छोटे राज्यों को नुकसान पहुंचने का खतरा है।
- **क्षमता निर्माण चुनौतियां:** निम्न और मध्यम आय वाले देशों में समुद्री विज्ञान और प्रशासन में समान भागीदारी के लिए संसाधनों का अभाव है।
    - इस संधि में क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तनीय उपायों का अभाव है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्संबंधों की अनदेखी:** संधि का ध्यान उच्च समुद्रों पर केन्द्रित है, तथा इसमें विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) में हानिकारक गतिविधियों के व्यापक प्रभावों की अनदेखी की गई है:
    - **उदाहरण :** श्रीलंका में 2021 के *एक्स-प्रेस पर्ल आपदा के कारण व्यापक समुद्री प्रदूषण हुआ।*
    - पश्चिमी अफ्रीकी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में अत्यधिक मछली पकड़ने से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर मछली भंडार में कमी आ रही है।
- **विनियमन में अंतराल:** ईईजेड के भीतर तेल और गैस अन्वेषण के प्रभावों को संबोधित करने में विफल रहता है, जो कई राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक हित है।
    - पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा का अभाव संधि के प्रवर्तन ढांचे को सीमित करता है।

आगे की राह: विभाजन को पाटना

- **एकीकृत शासन ढांचा:** प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने और आवास विनाश जैसी परस्पर संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च-समुद्री शासन को तटीय विनियमों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।
- **तटीय राज्यों के लिए प्रोत्साहन:** वैश्विक दक्षिण के तटीय राज्यों को घरेलू कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है।
- **धनी देशों की प्रतिबद्धता:** धनी देशों को समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- **राजनीतिक सहमति और स्पष्ट रणनीति:** संधि को अप्रभावी होने से रोकने के लिए राष्ट्रों की सामूहिक प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है।

स्रोत:

- द हिंदू: समुद्र में उम्मीद और बाधाओं के बीच
- बीबीसी

थुम्बा प्रक्षेपण के छह दशक बाद

संदर्भ

- 21 नवंबर 1963 को भारत ने केरल के थुंबा से, अपना पहला नाइक-अपाचे साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपित किया।
- इस वर्ष भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की 61वीं वर्षगांठ है।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम: प्रमुख प्रक्षेपण एवं मिशन -

GSAT-N2/GSAT-20 उपग्रह:

- **लॉन्च किया गया: 21** नवंबर**, 2024** को, फ्लोरिडा से स्पेसएक्स फाल्कन **9** रॉकेट के माध्यम से।
- **वजन:** 4,700 किलोग्राम।
- **उद्देश्य:** पूर्वोत्तर**,** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप जैसे वंचित क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं को बढ़ाना।
  - इन-फ़्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्ट सिटीज़ मिशन का समर्थन करना।
- **कक्षीय पैरामीटर: 250** किमी की उपभू**, 59,730** किमी की अपभू तथा **27.5** डिग्री के झुकाव के साथ, जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट (**GTO)** में रखा गया।

आगामी PSLV-C59 मिशन:

- **निर्धारित तिथि:** 4 दिसंबर, 2024।
- ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (**PSLV)** के विस्तारित लंबाई विन्यास (**XL)** का उपयोग करके, यह यूरोपीय प्रोबा-**3** मिशन को ले जाएगा।

मानव अंतरिक्ष उड़ान पहल- गगनयान कार्यक्रम:

- भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए नियोजित उड़ान के लिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य, भारत को स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष उड़ान में सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है।

निजी क्षेत्र की सहभागिता

कई भारतीय निजी कंपनियाँ अपने स्वयं के अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयारी कर रही हैं:

- **पिक्सल (Pixxel):** अगले वर्ष के आरंभ में 'फायरफ्लाइज़' नामक छह हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रह को लॉन्च करेगा।
  - प्रत्येक उपग्रह का वजन लगभग 50 किलोग्राम है, जो फसल स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी करने में सक्षम है।
- **गैलेक्सआई स्पेस (GalaxEye Space):** ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (**PSLV)** के ऑर्बिटल एक्सपेरीमेंटल मॉड्यूल (POEM) पर अपने तकनीकी डेमो के माध्यम से, एक सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) प्रणाली का परीक्षण करेगा।
- **पियरसाइट स्पेस (PierSight Space):** उन्नत एंटीना तकनीक और एवियोनिक्स को प्रदर्शित करने के लिए, 'वरुण' नामक एक मिशन का संचालन करेगा।
- **HEX20:** फरवरी 2025 में अपना 'नीला' उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो डेटा-प्रोसेसिंग सेवाएं प्रदान करेगा।
- **कैटालिक्स स्पेस (Catalyx Space):** इसनें हाल ही में अपना SR-0 उपग्रह लॉन्च किया, जिसने अपने तीन माह के मिशन के दौरान सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया।
- **AAKA स्पेस स्टूडियो:** मंगल और चंद्रमा पर स्थितियों का अनुकरण करते हुए लेह, लद्दाख में भारत का पहला अंतरिक्ष एनालॉग मिशन संचालित किया।

- **सैटश्योर (SatSure):** ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण संपत्तियों को मैप करने की परियोजना पर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ सहयोग करना।

वैज्ञानिक सहयोग एवं उपलब्धियाँ

स्कायर किलोमीटर ऐरे ऑब्ज़र्वेटरी (SKAO)

- **SKAO** परियोजना में, भारत की पूर्ण सदस्यता।
- इससे भारत को अभूतपूर्व अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक डेटा तक पहुंचने में सहायता प्राप्त होगी।

आदित्य-एल1 का पहला परिणाम

- **16** जुलाई**, 2024** को आदित्य **L1** के सटीक पूर्वानुमानित कोरोनल मास इजेक्शन की दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनोग्राफ।
- **महत्व:** उपग्रहों**,** पावर ग्रिड और रेडियो संचार को प्रभावित करने वाली सौर घटनाओं के संदर्भ में, अंतर्दृष्टि को बढ़ाता है।

स्रोत: द हिंदू: थुंबा लॉन्च के छह दशक बाद, कई निजी संस्थाएं उड़ान की तैयारी में जुटी हैं

भारत अमीर होने से पहले बूढ़ा हो रहा है

संदर्भ

कई भारतीय राज्य अब अधिक वृद्धावस्था के बोझ को साझा कर रहे हैं।

जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करने वाले प्रमुख जनसांख्यिकीय कारक -

- **प्रजनन क्षमता**
  - प्रजनन दर जनसंख्या में बच्चों के अनुपात को सीधे प्रभावित करती है।
  - प्रजनन क्षमता में गिरावट से जनसंख्या में बच्चों का हिस्सा कम हो जाता है, जिससे स्वतः ही वृद्ध व्यक्तियों का अनुपात बढ़ जाता है।
- **मृत्यु दर**
  - मृत्यु दर जीवन प्रत्याशा और वृद्ध आबादी के आकार को प्रभावित करती है।
  - जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से जनसंख्या में वृद्ध व्यक्तियों की हिस्सेदारी बढ़ जाती है।
- **प्रवास**
  - प्रवासन जनसंख्या का पुनर्वितरण कर सकता है तथा जनसांख्यिकीय संरचना को प्रभावित कर सकता है।
  - प्रवासन में आम तौर पर युवा लोग शहरी क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों की अधिकता रह जाती है।

भारत में वृद्धावस्था के लिए आगे की चुनौतियाँ

जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ

- **तेजी से बढ़ती उम्र**: भारत में विकसित देशों की तुलना में तेजी से उम्र बढ़ रही है। इससे भारत के लिए अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ उठाने से पहले ही अवसर की खिड़की से बाहर निकल जाने का जोखिम है।
  - **उदाहरणार्थ, फ्रांस में** वृद्ध जनसंख्या (65+) का हिस्सा 7% से दोगुना होकर 14% होने में **120 वर्ष** लग गये ।
    - **भारत ने यह लक्ष्य 28 वर्षों** में हासिल किया, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत तेज़ बुढ़ापे को दर्शाता है। कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में यह दोगुनी वृद्धि **20 वर्षों से भी कम समय में हो रही है**, जो क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर करती है।
- **असंतुलित प्रजनन क्षमता परिवर्तन**: भारत में प्रजनन क्षमता में गिरावट उसके सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन से पहले है।
  - **उदाहरण के लिए,** आंध्र प्रदेश की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 1.5 है, जो स्वीडन के बराबर है, जबकि वहां की प्रति व्यक्ति आय स्वीडन से 22 गुना कम है।
- **निर्भरता अनुपात में बदलाव**: एक बड़ी वृद्ध आबादी कामकाजी आयु वर्ग पर निर्भर है। इससे आर्थिक और देखभाल संबंधी दबाव बढ़ रहा है।
  - **उदाहरण के लिए, वृद्धावस्था में महिलाओं की संख्या में वृद्धि**(चूंकि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में लगभग 5 वर्ष अधिक है) के परिणामस्वरूप बुजुर्ग आबादी में विधवापन बढ़ रहा है और परिवारों में बुजुर्ग महिलाओं को अधिक प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है।

सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा**: बुजुर्ग भारतीयों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करता है, जहां कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है।
  - इस अंतर को संबोधित करने वाली नीतियां सीमित हैं, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

- **स्वास्थ्य परिवर्तन**: संचारी रोगों का दोहरा बोझ और गैर-संचारी रोगों की बढ़ती घटनाएं स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर दबाव डालती हैं।
    - उपशामक और उपचारात्मक देखभाल की आवश्यकता आगे की चुनौतियां बढ़ाती है।
- **आर्थिक असमानताएँ**: भारत को अपने **जनसांख्यिकीय लाभांश** (जो 2045 तक रहने की उम्मीद है) का पूरा लाभ उठाने से पहले ही बुढ़ापे का जोखिम है। इससे आर्थिक विकास की संभावना कम हो जाती है।

शहरीकरण के कारण चुनौतियाँ

- **जीवन-यापन की बढ़ती लागत:** शहरीकरण के कारण जीवन-यापन की लागत बढ़ जाती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास पर अधिक खर्च के कारण माता-पिता अधिक बच्चे पैदा करने के प्रति कम इच्छुक होते हैं।
- **विलंबित विवाह और पितृत्व:** बेरोजगारी और वित्तीय स्थिरता की चाह के कारण विवाह में देरी होती है और कम बच्चे होते हैं, जिससे जनसंख्या गतिशीलता प्रभावित होती है।
- **प्राथमिकताओं में बदलाव:** शिक्षित महिलाएं बच्चे पैदा करने की अपेक्षा करियर और आत्म-साक्षात्कार को अधिक प्राथमिकता देती हैं।

प्रो-नेटलिस्ट(जन्म समर्थक) नीतियां: वैश्विक और भारतीय संदर्भ

वैश्विक उदाहरण और प्रभावशीलता

- **यूनाइटेड किंगडम**: प्रजनन-समर्थक नीतियों के कारण **प्रजनन दर में मामूली वृद्धि हुई** , लेकिन प्रवृत्तियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।
- **जापान**: विवाह और जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए **एआई-संचालित मैचमेकिंग प्रयास शुरू किए गए।**
- **यूरोप**: बच्चे पैदा करने के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन, लेकिन परिणाम न्यूनतम रहे हैं।
- **दक्षिण कोरिया**: भारी निवेश के बावजूद, टीएफआर **0.8 पर बनी हुई है**, जो दुनिया में सबसे कम है।

मुख्य सीख

- **सीमित सफलता**: प्रजनन समर्थक नीतियों से किसी भी देश में प्रजनन क्षमता में गिरावट को रोका नहीं जा सका है।
- **रणनीति के रूप में लैंगिक समानता:** साक्ष्य बताते हैं कि लैंगिक मानदंडों में सुधार करके, जैसे कि पुरुषों द्वारा घरेलू जिम्मेदारियों को साझा करना, मातृत्व दंड को कम किया जा सकता है और प्रजनन दर को बढ़ाया जा सकता है।

भारत के लिए सिफारिशें

नीतिगत हस्तक्षेप

- **सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना**: अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजनाएं शुरू करें।
    - समुदाय आधारित वृद्ध देखभाल प्रणालियाँ विकसित करना।
- **स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में सुधार**: गैर-संचारी रोगों से निपटने के लिए देखभाल सेवाओं का विस्तार करना तथा उपशामक देखभाल प्रदान करना।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना**: जनसांख्यिकीय अवसर चरण के दौरान आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए कार्यशील आयु वर्ग की आबादी के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों में निवेश करें।
- **लैंगिक समानता का समर्थन करना**: परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु समान घरेलू जिम्मेदारियों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को बढ़ावा दें।
- **टिकाऊ प्रजनन दर पर ध्यान केंद्रित करना**: उच्च प्रजनन दर को समर्थन देने के लिए सवेतन मातृत्व/पितृत्व अवकाश और किफायती बाल देखभाल सहित परिवार-अनुकूल कार्यस्थल नीतियों को प्रोत्साहित करें।

सामाजिक और सांस्कृतिक समायोजन

- **पारिवारिक प्रणालियों को मजबूत बनाना**: बुजुर्गों की देखभाल के लिए परिवारों को सांस्कृतिक पहल और प्रोत्साहन के माध्यम से अंतर-पीढ़ीगत समर्थन को मजबूत बनाना।
- **विधवापन से निपटना**: सामाजिक कलंक को दूर करना तथा विधवा बुजुर्ग महिलाओं को लक्षित वित्तीय और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।

स्रोत: **इंडियन एक्सप्रेस: भारत अमीर होने से पहले बूढ़ा हो रहा है**

आंकड़े और तथ्य

बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024

संदर्भ

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर 'मूल पशुपालन सांख्यिकी 2024' का वार्षिक प्रकाशन जारी किया।

दूध उत्पादन

- **कुल उत्पादन (2023-24):** 239.30 मिलियन टन
- **विकास:**
  - पिछले दशक की तुलना में 5.62% (2014-15: 146.3 मिलियन टन)।
  - 2022-23 तक 3.78%.
- **शीर्ष उत्पादक:**
  - **उत्तर प्रदेश** (16.21%)
  - राजस्थान (14.51%)
  - मध्य प्रदेश (8.91%)
  - गुजरात (7.65%)
  - महाराष्ट्र (6.71%)
- **उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर (एजीआर):**
  - पश्चिम बंगाल (9.76%), झारखंड (9.04%), छत्तीसगढ़ (8.62%), असम (8.53%)।

अंडा उत्पादन

- **कुल उत्पादन (2023-24):** 142.77 बिलियन अंडे
- **विकास:**
  - पिछले दशक की तुलना में 6.8% (2014-15: 78.48 बिलियन अंडे)।
  - 2022-23 तक 3.18%.
- **शीर्ष उत्पादक:**
  - **आंध्र प्रदेश** (17.85%)
  - तमिलनाडु (15.64%)
  - तेलंगाना (12.88%)
  - पश्चिम बंगाल (11.37%)
  - कर्नाटक (6.63%)
- **उच्चतम एजीआर:** लद्दाख (75.88%), मणिपुर (33.84%), उत्तर प्रदेश (29.88%)।

मांस उत्पादन

- **कुल उत्पादन (2023-24):** 10.25 मिलियन टन
- **विकास:**
  - पिछले दशक की तुलना में 4.85% (2014-15: 6.69 मिलियन टन)।
  - 2022-23 तक 4.95%.
- **शीर्ष उत्पादक:**
  - **पश्चिम बंगाल** (12.62%)
  - उत्तर प्रदेश (12.29%)

  - महाराष्ट्र (11.28%)
  - तेलंगाना (10.85%)
  - आंध्र प्रदेश (10.41%)
- **उच्चतम एजीआर:**
  - असम (17.93%), उत्तराखंड (15.63%), छत्तीसगढ़ (11.70%)।

ऊन उत्पादन

- **कुल उत्पादन (2023-24):** 33.69 मिलियन किग्रा
- **विकास:**
  - पिछले वर्ष की तुलना में 0.22% अधिक।
  - **2019-20 (** 36.76 मिलियन किग्रा) की तुलना में गिरावट।
- **शीर्ष उत्पादक:**
  - **राजस्थान** (47.53%)
  - जम्मू और कश्मीर (23.06%)
  - गुजरात (6.18%)
  - महाराष्ट्र (4.75%)
  - हिमाचल प्रदेश (4.22%)
- **उच्चतम एजीआर:**
  - पंजाब (22.04%), तमिलनाडु (17.19%), गुजरात (3.20%)।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

- **दुग्ध उत्पादन:** भारत विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर है।
- **अंडा उत्पादन:** भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है।